तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बेचान, रहन, बक्शीश करना चाहता है तथा गै0सा0 वर्तमान में विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 660 सरहद मौजा–कावलियां खुर्द में सायल की कृषि भूमि में गै0सा0 संख्या एक होटल बना रहा है तथा 24 घण्टे निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि गै0सा0 संख्या एक के पास होटल बनाने की कोई परमिशन नहीं है व गै0सा0 संख्या एक गैरकानूनी तरीके से होटल निर्माण कर रहा है, इसलिये गै0सा0 को ऐसा करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा दावे के निर्णय तक रोका जाने के आदेश फरमावें। गै0सा0 संख्या दो को म्यूटेशन भरने व कोई भी दस्तावेज उक्त भूमि का विक्रय बाबत् या अन्य कोई पंजीयन करने से व गै0सा0 संख्या तीन को म्यूटेशन भरने से दावे के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जावें। सायल उक्त वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। काश्तकार होने से इनका प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है तथा मौके पर भी सायल का कब्जा हैं। इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है, यदि गैरसायल संख्या एक (1) सायल के हिस्से की कृषि भूमि को अवैध व गैरकानूनी रूप से कब्जा, हस्तान्तरण, बेचान, रहन, बक्सीस, वसीयत कर दिया व सायल के हिस्से की कब्जा काश्त कृषि भूमि में गै0सा0 संख्या एक होटल का निर्माण कर रहा है, जबकि उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का कोई बाई मिण्ट्स बाउण्ड्स बंटवाड़ा व तरमीम नहीं हुआ हुआ है, फिर भी गै0सा0 संख्या एक दादागिरी से व शक्तिबल से सायल की कृषि भूमि में होटल का निर्माण कर रहा है, अगर गै0सा0 संख्या एक सायल के हिस्से की कृषि भूमि में होटल बनाने में कामयाब हो जाता है तो सायल को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं होगी, गै0सा0 को ऐसा करने से दावे के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जावें। कोई सहायता जो सायल के पक्ष में हो दिलवायी जायें। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील सायलान को सुना गया। बहस वकील सायलान बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायलान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः आगामी तारीख पेशी तक गै0सा0 को सायलान की खातेदारी भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने एवं उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने हेतु जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा व ग्राम–कावलियां खुर्द, पटवार क्षेत्र–कावलियां कलां, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राजस्थान) में सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 660 रकबा 3–06 बीघा सायलान की खातेदारी भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने एवं उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से गै0सा0 को आगामी तारीख पेशी तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0सा0 को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 23/11/2015 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)
23-11-15	वकील वादी मय वादी उप०। वकील ओगड़राम मुस्तगीस ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। वादी मय वकील ने प्रा० पत्र मूल वाद में राजीनामा हो जाने से जरिये वाद विड्रोल खारिज का पेश किया। अतः लोगल का मूल वाद जरिये विड्रोल खारिज हो जावे

1698
30/11/15

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से आवेदक का प्रा० पत्र प्रभावहीन होने से आवेदक का प्रा० पत्र जरिये निर्णय खारिज किया जाता है। पत्रावली कौन्सल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। अन्तार जमा हो। sd/-	

Scanned by CamScanner